कार्यालय नगर पालिका परिषद डिबाई (बुलन्दशहर)

पत्रांक 170 /न0पा0परि0डि0/18 दिनाँक: 16/5/2018

अति अल्पकालीन निविदा सूचना

नगर पालिका परिषद डिबाई में पंजीकृत ठेकेदारो/फर्मो से वित्तीय वर्ष 2018–19 में जलकल विभाग, सफाई विभाग/प्रकाश विभाग में आउट सोर्सिंग पर श्रमिकों को रखना चाहती है। इच्छुक फर्म/पंजीकृत ठेकेदार निविदा प्रकाशन की दिनांक से दिनांक 22.05.2018 तक कार्य दिवस में निर्धारित मूल्य पर क्रय की जा सकती है तथा निविदा दिनाक 26.05.2018 को समय 02:00 बजे तक कार्यालय नगर पालिका परिषद डिबाई में रखे सील बन्द बाक्स मे अपनी निविदायें डाल सकते है तथा उक्त दिनांक समय 03:00 बजे उपस्थित पंजीकृत ठेकेदारो/फर्मो के समक्ष खोले जायेगें। विवरण निम्नांकित है–

क्रमांक	आउट सोर्सिंग पर रखे कर्मचारियों का विवरण	विभाग का नाम	निविदा की धनराशि जी0 एस0 टी0 18 प्रतिशत	धरोहर धनराशि
1	55 व्यक्ति सफाई कार्य हेतु व 05 ड्राईवर	सफाई विभाग	500	2 प्रतिशत
2	20 व्यक्ति नलकूपों के संचालन हेतु तथा 03 व्यक्ति लीकेज कार्य हेतु।	जलकल विभाग	300	2 प्रतिशत
3	01 लाईन मैन तथा 02 बेलदार	प्रकाश विभाग	300	2 प्रतिशत

शर्ते निम्नवत् हैः–

1–ठेकेदार/फर्म प्रकाश व्यवस्था/सफाई/जल व्यवस्था हेतु जिन श्रमिकों को रखेगा उसकी सुरक्षा का दायित्व सम्बन्धित ठेकेदार का होगा, इसके लिये पालिका जिम्मेदार नही होगी, एवं कोई दावा पालिका पर मान्य नही होगा।

2–ठेकेदार को पालिका निर्देशानुसार अपने मजदूरों से नगर में कीट नाशक दवाओं का छिड़काव, नाला–नाली सफाई कार्य झाडू व टैक्टर पर बेलदारी आदि तथा मजदूरों के अन्य कार्य कराने होंगें।

3–ठेका अवधि कार्य आदेश में वर्णित दिनाक से अन्य वैकल्पिक व्यवस्था होने तक अथवा 31 मार्च, 2019 तक होगी जो भी दोनो से कम होगी।

4–प्राप्त टैण्डर को बिना कारण बताये निरस्त करने का अधिकार अधोहस्ताक्षरी में निहित रहेगा।

5–टैण्डर स्वीकृत होने के पश्चात नियमानुसार स्टाम्प पर अनुबन्ध करना अनिवार्य होगा तथा जमानत राशि सफाई व्यवस्था हेतु अंकन रूपये 50,000/–तथा प्रकाश व्यवस्था हेतु 20,000/–तथा नलकूप संचालन हेतु 25,000/–तथा नल मरम्मत व कम्प्यूटर हेतु 5000– 5000/–नकद अथवा FDR/NSC जो कि अधिशासी अधिकारी के पद नाम से बंधक होगी, जमा करना अनिवार्य होगा।

6–नगर पालिका परिषद डिबाई द्वारा समय– 2 पर दिये गये निदेशों का पालन करना अनिवार्य होगा।

7–यदि ठेकेदार पालिका के निर्देशों का पालन नही करता है तो ठेका समाप्त कर दिया जायेगा।

8–100 रू0 के स्टाम्प पर अनुबन्ध करना अनिवार्य होगा।

9–आउट सोर्सिंग पर स्वीकृत व्यक्तियों की संख्या भविष्य में आवश्यकतानुसार घटायी या बढ़ाई जा सकती है।

10–ड्राईवर के लिये लाईसैंस तथा लाईन मैन हेतु ITI/DIPLOMA होना अनिवार्य होगा।

11–ठेकेदार को नगर विकास अनुभाग–1 लखनऊ दिनांक 21.11.2015 के वित्त विभाग के अशासकीय संख्या 3390/ 9–1–15–06 सा/2015 के अन्तर्गत भुगतान करना अनिवार्य होगा।

12–कार्य सन्तोष जनक पाये जाने पर कार्य अवधि बढायी जा सकती है।

13–निविदा दाता को श्रम विभाग में पंजीकृत श्रम प्रमाण पत्र निविदा के साथ संलग्न करना होगा अन्यथा निविदा निरस्त कर दी जायेगी।

14–निविदा दाता को ठेकेदारी से सम्बन्धित समस्त दस्तावेज निविदा के साथ संलग्न करने होगें।

15–जलकल/प्रकाश विभाग सम्बन्धित शेष नियम व शर्ते कार्यालय में किसी भी कार्य दिवस में देखी जा सकती है।

/ /

अधिशासी अधिकारी
नगर पालिका परिषद,डिबाई।

(कयामुददीन)
अध्यक्ष
नगर पालिका परिषद,डिबाई।

पत्रांक 170/(1) /न0पा0परि0डि0/18 तददिनॉकः

प्रतिलिपिः–1– अपर जिलाधिकारी (वि0/रा0)/प्रभारी अधिकारी (स्था0नि0) बुलन्दशहर की सेवा मे सूचनार्थ सादर प्रेषित।

2– उपजिलाधिकारी महोदय, डिबाई की सेवा मे सूचनार्थ सादर प्रेषित।

3– नगर पालिका परिषद डिबाई कार्यालय के नोटिस बोर्ड पर चस्पा हेतु।

4– दैनिक समाचार पत्र पंजाब केसरी बुलन्दशहर व शाह टाइम्स बुलन्दशहर को इस आशय से कि अपने समाचार पत्र में विज्ञप्ति का न्यूनतम स्थान में प्रकाशन कराकर समाचार पत्र की 05 प्रति इस कार्यालय को उपलब्ध कराने का कष्ट करे।

✓5– एन0 आई0 सी0 की वैवसाईट www.Bulandshahr.Nic.In पर अपलोड करने हेतु।

16/5/18
अधिशासी अधिकारी
नगर पालिका परिषद,डिबाई।

कयामुद्दीन
(कयामुददीन)
अध्यक्ष
नगर पालिका परिषद,डिबाई।